2015/00160

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/15

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान

– **वादी**

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. रामरति पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं श्री संदीप गोदारा : **वादी**

निर्णय **दिनांक :**

वादी ने दिनांक 29.12.15 को उपरोक्त अनवानी दावा पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांव शेरड़ा के खाता सं0 391/385 में खसरा सं0 602/1 तादादी 2.314 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो वादी रामसिंह पुत्र शादी जाति जाट के नाम से खातेदारी है। रामसिंह की दिनांक 15.11.2015 को कुंवारा लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है।

रामसिंह वादी राकेश कुमार एंव प्रतिवादी सुभाषचन्द्र का रिश्ते में दादा लगता था। वादी के सगे दादा जुगलाल का छोटा भाई रामसिंह था जिसने अपने जीवनकाल में शादी नहीं की थी। रामसिंह की सेवा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2राजेश कुमार ने की थी। रामसिंह ने वादी एवं राजेश कुमार की सेवा से प्रश्न होकर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी एवं राजेश कुमार प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित करवाकर दिनांक 22.03.1986 को उपपंजीयक भादरा के समक्ष पंजीबद्ध करवा दी थी।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.03.2016 को वाद वादी खारिज किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई थी जिससे व्यथित होकर वादी राकेश कुमार ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में एक अपील 10/2016/223 दायर की जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित करे। पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी पीडब्ल्यु 1 राकेश कुमार व पीडब्ल्यु 2 जोतराम के बयान करवाये गये। वसीकानवीस एवं लेखक हरदेवसिह डिडराईटर को साक्ष्य हेतु तलब किया गया। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 3 हरदेवसिंह पीडब्ल्यु 4 ओमप्रकाश पीडब्ल्यु 5 रामकुमार पीडब्ल्यु 6 रामचन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सरपंच ग्राम पंचायत शेरड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादीगण को सूचनार्थ विधिक प्रतिनिधि को सम्मन के लिए नोटिस अखबार में साया करवाने हेतु आदेश जारी किये गये। वकील वादी ने अखबार साया की प्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रामसिंह वादीगण का रिश्ते में दादा था। वसीयतनामा रामसिंह द्वारा वादी व वादी के भाई के प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने अपील आंशिक स्वीकार कर पत्रावली रिमाण्ड की है। वसीयत के मामले में या तो वसीयत विवादित है तो वादी उसे साबित करे यदि वसीयत विवादित नहीं है, उसका किसी ने खण्डन नहीं किया है तो उसे साबित माना जाये। वसीयत साबित करने हेतु साक्षी के बयान करवाये गये, वसीयत के लेखक तथा गवाहान के बयान करवा दिये गये है। पंजीकृत दस्तावेज का पंजीयन सरकारी अधिकारी द्वारा किया गया है। अत : वसीयत हर तरह से साबित है। इस प्रकार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रामसिंह द्वारा उनके नाम निष्पादित वसीयतनामा के मुताबिक कृषि भूमि की स्वयं व अपने भाई के नाम घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श 2ए एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं वसीयतकर्ता रामसिंह ने अपनी वसीयत में स्पष्ट किया है कि मेरे कोई जीवित पत्नि नहीं है और ना ही मेरे कोई औलाद है। मै मेरी चल व अचल समस्त सम्पति की राजेश कुमार व राकेश कुमार के हक में वसीयत करता हूं। वसीयत के सम्बन्ध में नोटिस अखबार में साया करवाया गया जिस पर भी कोई खण्डन नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत शेरड़ा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि शादीराम की कुंवारे की ही मृत्यु हुई थी। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यु 1 राकेश कुमार व पीडब्ल्यु 2 जोतराम व वसीकानवीस एवं लेखक पीडब्ल्यु 3 हरदेवसिंह, पीडब्ल्यु 4 ओमप्रकाश पीडब्ल्यु 5 रामकुमार पीडब्ल्यु 6 रामचन्द्र के बयान, प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से वसीयत साबित होती है।

अत : वाद वादी मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 22.03.1986 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गांव शेरड़ा के खाता सं0 391/385 में खसरा सं0 602/1 तादादी 2.314 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के वादी राकेश कुमार एवं प्रतिवादी राजेश कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से रामसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी राकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 राजेश कुमार के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5·2·18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/15

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान

– वादी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. रामरति पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 22.03.1986 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गांव शेरड़ा के खाता सं0 391/385 में खसरा सं0 602/1 तादादी 2.314 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के वादी राकेश कुमार एवं प्रतिवादी राजेश कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से रामसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी राकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 राजेश कुमार के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़